

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम

प्रवेश नियम
(अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

2018

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018
(अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)

भोपाल, दिनांक: 22/7/2018

क्रमांक एफ 44-10/2018/20-2: राज्य शासन मध्यप्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) द्विवर्षीय नियमित पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन प्रवेश नियम एतद् द्वारा जारी करता है-

1. नाम : इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 (अशासकीय महाविद्यालय) होगा।
2. प्रभावशीलता : ये नियम शैक्षणिक सत्र 2018-19 से मध्यप्रदेश में संचालित ऐसे सभी अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावशील होंगे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यताप्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से सम्बद्धता प्राप्त "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।
3. परिभाषाएँ : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) डी.एल.एड. से तात्पर्य है, "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।
 - (ख) एन.सी.टी.ई. से तात्पर्य है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education)।
 - (ग) मा.शि.म. से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।
 - (घ) महाविद्यालय से तात्पर्य है डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अशासकीय महाविद्यालय
 - (ङ) शैक्षणिक सत्र से अभिप्रेत है दिनांक 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष की दिनांक 30 जून तक की समयावधि।
 - (च) एम.पी. ऑनलाइन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल जिसके द्वारा इन नियमों के तहत प्रवेश की सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जावेगी।
4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता : अनारक्षित-वर्ग के अभ्यर्थी हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकण्डरी (+2) स्कूल सर्टीफिकेट या समकक्ष परीक्षा ब्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के उम्मीदवारों के लिए उपरोक्तानुसार पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
5. प्रवेश हेतु आयु : अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वाले वर्ष 01 जुलाई को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो।
6. प्रवेश हेतु स्थानों (सीट्स) की उपलब्धता
 - 6.1 प्रदेश की डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली अशासकीय महाविद्यालयों की सूची एवं उपलब्ध सीट की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प.क्षे.स.) की वेबसाईट nctewrc.co.in, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाईट mpbse.nic.in एवं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के प्रावधान अनुसार ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रहेंगे। इन महाविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश इन्हीं नियमों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर दिये जाएंगे। ऐसे महाविद्यालयों की सूची एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध होगी। इस सूची में वे महाविद्यालय सम्मिलित किये जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर की वैधानिक संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया हो।

6.2 संकायवार स्थानों (सीट्स) का निर्धारण : प्रारम्भिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नानुसार संकायवार स्थान(सीट्स) निर्धारित रहेंगे।

कुल स्थान	गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (40 प्रतिशत)	कला संकाय (40 प्रतिशत)	शेष संकाय (20 प्रतिशत)
1	2	3	4
50	20	20	10
100	40	40	20

टीप :- कॉलम 4 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकण्ड्री (+2) परीक्षा अनुसार शेष सभी संकायों यथा वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, फाईन आर्ट्स इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट्स निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा स्थान(सीट्स) रिक्त रहता है तो अन्य संकाय के अभ्यर्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

7. आरक्षण

7.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा-

- (1) अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिये 16 प्रतिशत
- (2) अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिये 20 प्रतिशत
- (3) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये 14 प्रतिशत

आरक्षित स्थानों (सीट्स) पर विहित अर्हता रखने वाले संबंधित आरक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से रिक्त स्थान (सीट्स) भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका अनुसार होगी -

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अनुसूचित जाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछड़ा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से

उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रदान करने के पश्चात् भी यदि महाविद्यालयों में सीट रिक्त रहती है तो प्रवेश प्रक्रिया में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों

की संख्या महाविद्यालय में उपलब्ध कुल स्थानों में से 25 प्रतिशत स्थानों से अधिक नहीं होगी। मूल निवासी के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले से जारी म0प्र0 के मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का आधार कार्ड/ राशनकार्ड/समय आई.डी/वोट आई.डी. (माता पिता या स्वयं) में उल्लेखित पता अथवा कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र में से किसी एक को जिले के मूल निवासी के दस्तावेज के रूप में मान्य किया जायेगा।

अन्य मण्डलों/बोर्ड (मा0शि0मण्डल को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से ग्राह्यता प्राप्त की जाना अनिवार्य है।

7.2 महिलाओं के लिए आरक्षण : इन महाविद्यालयों में भरे जाने वाले कुल स्थानों (सीट्स) के 50 प्रतिशत स्थान (सीट्स) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। यहां प्रभागवार आरक्षण से आशय प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों में महिला अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त स्थान (सीट्स) की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर की जाएगी।

7.3 निःशक्तजन हेतु आरक्षण : डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत स्थानों में से 6 प्रतिशत स्थानों पर निःशक्तजन को समस्तर (होरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के अनुसार दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बधिर और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, ऐसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं बहुविकलांगता संबंधी धारा (ई) में उपरोक्तानुसार श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए **अ.व.क.** **अ.व.क.** आरक्षण प्रदान किया जाएगा। निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 09/01/2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर ही निःशक्तजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

7.4 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण : म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ9-1/99/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 26 जून 1999 के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीट्स में से 10 % सीट्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (होरिजेन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) होगा, अर्थात् प्रत्येक वर्ग यथा - अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) में से 10% स्थान (सीट्स) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त स्थान (सीट्स) की पूर्ति उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से मेरिट आधार पर की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.5 जाति प्रमाण पत्र : मध्यप्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु स्थायी जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। स्थायी प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एवं इसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र के साथ चालू वर्ष का आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा। बाह्य राज्य के आवेदकों के आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार होने पर ही मान्य होंगे।

8. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा तैयार द्विवर्षीय पुनरीक्षित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम लागू रहेगा। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा योजना संबंधित नियम एवं विस्तृत निर्देश म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किए जाएंगे। इनमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

9. शुल्क

अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

10. प्रवेश की प्रक्रिया

10.1 प्रवेश हेतु विज्ञप्ति :

- (i) राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, एम.पी. ऑनलाइन एवं विभागीय वेबसाइट (एज्युकेशन पोर्टल) पर प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
- (ii) प्रवेश सम्बन्धी विभिन्न तिथियों की घोषणा उपरोक्त विज्ञप्ति में की जावेगी।

10.2 डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश :

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार की जावेगी कि दिनांक 31 जुलाई 2018 से पूर्व अभ्यर्थियों का महाविद्यालयों में प्रवेश का कार्य पूर्ण हो जाए। एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन, एडिर्टिंग, महाविद्यालय प्राथमिकता क्रम दर्ज करने एवं प्रशासकीय प्रक्रिया

हेतु निर्धारित शुल्क कियोस्क सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया जावेगा। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही महाविद्यालय में सीट आवंटन की जावेगी। त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नानुसार रहेंगे:

10.2.1 प्रथम चरण-पंजीयन एवं महाविद्यालय प्राथमिकता निर्धारण :

- i. आवेदक द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर अथवा पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन किया जाना होगा। पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किये जाने होंगे। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पासवर्ड के आधार पर आवेदक आवश्यकतानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन हेतु निर्धारित तिथियों की जानकारी पृथक से विज्ञप्ति में प्रकाशित की जाएगी।
- ii. आवेदक को पंजीयन एवं महाविद्यालय की प्राथमिकता निर्धारण हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक द्वारा स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित महाविद्यालयों की सूची में से अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम महाविद्यालयों का चयन किया जा सकता है।
- iii. आवेदक पंजीयन में प्रदत्त जानकारी में यदि त्रुटि सुधार या परिवर्तन करना चाहता है तो निर्धारित समयावधि में 'एडिट' (Edit) का अवसर उपलब्ध रहेगा। आवेदक द्वारा इसी निर्धारित अवधि में त्रुटि सुधार किया जाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् त्रुटि सुधार के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- iv. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से आवेदक को जानकारी उपलब्ध होगी।

10.2.2 द्वितीय चरण- सीट आवंटन :

- i. अभ्यर्थी को निम्नांकित आधार पर महाविद्यालयों में सीट आवंटित की जाएगी-
(अ) शैक्षणिक अर्हता की मेरिट (कक्षा 12वीं में प्राप्तों) का प्रतिशत
(ब) अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दर्ज कराई गई महाविद्यालय की प्राथमिकता
- ii. सीट आवंटन के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। SMS एवं पोर्टल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध होगी। अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित होगी।
- iii. उपरोक्तानुसार प्राप्त अलॉटमेंट में अभ्यर्थी के लिए अपग्रेडेशन का एक अवसर उपलब्ध होगा। इस अपग्रेडेशन का चयन करने पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थानों में स्थान रिक्त होने पर अभ्यर्थी की संस्था को अपग्रेड किया जा सकता है।

10.2.3 तृतीय चरण- महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया :

- i. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु अवधि निर्धारित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।
- ii. महाविद्यालय उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर देख सकेंगे।

iii. उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित महाविद्यालय में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करना होगा। संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्र की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।

iv. महाविद्यालय द्वारा एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

v. सीट आवंटन निरस्तीकरण :

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्न कारणों से अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त किया जा सकता है :-

(अ) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है।

(ब) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है।

(स) अभ्यर्थी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पात्र नहीं पाया जाता है।

(द) अन्य कोई औचित्यपूर्ण कारण

10.2.4 चतुर्थ चरण- प्रतीक्षा सूची/सूचियाँ जारी करना

i. उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् महाविद्यालयों में शेष रिक्त सीट्स पर कंडिका 10.2.2 के अनुसार सीट आवंटन की कार्यवाही पुनः करते हुए प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी।

ii. प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित आवेदकों के प्रवेश कंडिका 10.2.3 के अनुसार किए जाएंगे।

iii. यदि प्रथम प्रतीक्षा सूची से प्रवेश के पश्चात् भी सीट रिक्त रहती है तो निर्धारित तिथि तक प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रवेश उपरान्त संस्थान में सीट्स रिक्त रहने पर प्रवेश हेतु पुनः संस्था चयन की कार्यवाही करते हुए कंडिका 10.2.2 एवं 10.2.3 के अनुसार अतिरिक्त सूचियाँ जारी की जायेगी।

iv. महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सूचियाँ विज्ञप्ति में प्रकाशित अंतिम तिथि तक जारी की जाएगी।

v. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु महाविद्यालय स्तर की काउंसलिंग नहीं की जाएगी।

10.3 शिकायत निवारण प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर हेल्पलाईन केन्द्र एवं शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

10.4 प्रवेश प्रक्रिया की मॉनिटरिंग :राज्य, शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रत्येक डी.एल.एड. महाविद्यालयों के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर उन्हें मॉनिटरिंग संबंधी दायित्व प्रदान किये जायेंगे।

10.5 - प्रवेश के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति का सत्यापन संस्थान द्वारा किया जाएगा। सत्यापन रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश हेतु पात्र होगा। सत्यापित प्रमाण-पत्रों की एक प्रति महाविद्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। सत्यापन उपरान्त यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में विसंगति पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर एवं संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

11. अभ्यर्थी के प्रवेश का निरस्तीकरण : यदि यह संज्ञान में आया कि, कोई अभ्यर्थी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
12. महाविद्यालय द्वारा नियमों की अवहेलना की स्थिति में कार्यवाही : महाविद्यालय द्वारा इन नियमों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की परिस्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध यथोचित जॉच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
13. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन द्वारा महाविद्यालयों में अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूची में दर्ज अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र माने जाएंगे।
14. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का प्रारम्भ : डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष 2018-19, दिनांक 01 अगस्त 2018 से प्रारम्भ होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 21/6/18

पू.क्र. एफ 44-10/2017/20-2

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास/लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त जिला-कलेक्टर (म.प्र.)।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (म.प्र.)।
8. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/उपायुक्त आदिवासी विकास (समस्त)।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग (समस्त)।
11. प्राचार्य ड्राइट (समस्त) की ओर सूचना एवं पालनार्थ।
12. आई.सी.टी. कक्ष, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग